

प्रेस-विज्ञप्तिथाना सरायमीरअवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तारगिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 20.05.2023 को उ0नि0 अजीज खान मय हमराह द्वार अभियुक्त प्रमोद चौहान पुत्र स्व0 मन्नू चौहान ग्राम सुरही बुजुर्ग थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष को कमालपुर पुलिया के पास से समय करीब 05.40 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद अवैध तमन्चा .315 बोर व 02 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 139/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद अवैध तमन्चा 0.315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

139/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 0184/2020 धारा 379 भा0द0वि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
- 2.मु0अ0सं0 23/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
- 3.मु0अ0सं0 203/2022, धारा 8/21 NDPS ACT थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रमोद चौहान पुत्र स्व0 मन्नू चौहान ग्राम सुरही बुजुर्ग थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अजीज खान मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

थाना- बरदहमारपीट कर गंभीर रूप से चोट पहुँचाने वाला अभियुक्त गिरफ्तारपूर्व की घटना/इतिहास का विवरण -

दिनांक 13/5/23 को वादी जितेन्द्र कुमार पुत्र हरिराम निवासी पिछौरा थाना बरदह आजमगढ़ के द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों 1.शंकर पुत्र गोलई निवासी पिछौरा थाना बरदह आजमगढ़ 2.कुसुमलता पत्नी रामप्रताप निवासी पिछौरा थाना बरदह आजमगढ़ 3.दीपा पुत्री रामप्रताप निवासी पिछौरा थाना बरदह आजमगढ़ 4.रानी पुत्री रामप्रताप निवासी पिछौरा थाना बरदह आजमगढ़ व एक बालअपचारी किशोरी द्वारा वादी की पत्नी पूनम को जमीनी विवाद में एक राय होकर मारे पीटे जिससे पीड़िता को गंभीर चोट आयी। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 177/23 धारा 147/323/506 भादवि बनाम उपर्युक्त आदि 05 नफर पंजीकृत किया गया। मार पीट में आयी चोटों से वादी की पत्नी पूनम के पेट में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो जाने के कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा 316 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 20.05.23 को उ0नि0 जुबैर अहमद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता 1-दीपा पुत्री राम प्रताप उम्र 21 निवासी पिछौरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को समय 09.45. बजे गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया व एक बाल अपचारी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 177/23 धारा 147/323/506/316 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्ता/ पुलिस अभिरक्षा में-

- 1- दीपा पुत्री राम प्रताप उम्र 21 निवासी पिछौरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़
2. एक बालअपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 जुबैर अहमद मय हमराह थाना बरदह जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

संपूर्ण समाधान तहसील दिवस

आज दिनांक- 20.05.2023 को जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा तहसील निजामाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस पर जनता के समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

थाना अतरौलिया

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण -

दिनांक 19.04.2023 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की नाबालिग पुत्री दिनांक 16.04.2023 को खेत से कहीं चली गयी है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 108/23 धारा 363 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी पीड़िता, बयान पीड़िता व साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 366/376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी व अभियुक्त लवकुश कश्यप पुत्र शिवप्रसाद उम्र 20 वर्ष निवासी गनेशपुर पोस्ट खानपुर मलोह थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 20.05.2023 को उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त लवकुश कश्यप पुत्र शिवप्रसाद निवासी गनेशपुर पो0 खानपुर मलोह थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच को अतरौलिया बस स्टैण्ड से समय करीब 06.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 108/23 धारा 363/366/376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

लवकुश कश्यप पुत्र शिवप्रसाद निवासी गनेशपुर पो0 खानपुर मलोह थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव मय हमराह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना- महाराजगंज

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक -28.3.22 को वादी थाना महाराजगंज जनपद-आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त सरवन कुमार पत्र विधिचन्द्र उर्फ दीपचन्द्र उर्फ बेच्चन गोड़िया सा0 रोशनगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष द्वारा वादी की नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 85/22 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अपहृता की बरामदगी, बयान पीड़िता व मेडिकल के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तारी की विवरण-

आज दिनांक 20.05.2023 को उ0नि0 आशुतोष मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सरवन कुमार पत्र विधिचन्द्र उर्फ दीपचन्द्र उर्फ बेच्चन गोड़िया सा0 रोशनगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को सहदेवगंज बाजार के पास समय करीब 08.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 85/22 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 85/22 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अपचारी किशोर-

सरवन कुमार पत्र विधिचन्द्र उर्फ दीपचन्द्र उर्फ बेच्चन गोड़िया सा0 रोशनगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 आशुतोष मिश्रा मय हमराह थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

थाना- महाराजगंज

मारपीट कर गंभीर रूप से चोट पहुँचाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 11.04.23 को वादी दयालाल पुत्र भिखारी ग्राम जिगिनिया उर्फ शाहपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी के भाई ज्ञान पुत्र भिखारी की औरत व लडकी थाना महाराजगंज क्षेत्र के सेमरी देवारा गांव में स्थित अपने खेत में गेहू की फसल काटने गयी थी तभी मेड़ के रास्ते पर ग्राम जिगिनिया उर्फ शाहपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के बिल्लर पुत्र राम राज की औरत विमला द्वारा वाद-विवाद किया जाने लगा, तभी 1-बिल्लर पुत्र रामराज ग्राम जिगिनिया उर्फ शाहपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर 2-हरिकेश पुत्र रामराज ग्राम जिगिनिया उर्फ शाहपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर 3-गुलाब पुत्र रामराज ग्राम जिगिनिया उर्फ शाहपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर 4- भुलेन्द्र पुत्र गुलाब ग्राम जिगिनिया उर्फ शाहपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर 5-अरविन्द पुत्र चैतू ग्राम जिगिनिया उर्फ शाहपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर 5- सोहन पुत्र बिल्लर ग्राम जिगिनिया उर्फ शाहपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर द्वारा गाली गुसा देते हुए सब्बल , लाठी व आरी से वादी व वादी के परिवारजन को मारे- पीटे जिससे सभी को गंभीर चोटे आयी है। गंभीर चोट के कारण ज्ञान मौके पर ही बेहोश हो गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 120/23 धारा 34/323/504/308/325 IPC बनाम आदि 07 नफर के बिरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी की विवरण-

आज दि0 20.05.23 को मै उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त गुलाब मल्लाह पुत्र रामराज मल्लाह सा0 जिगिनिया शाहपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को चिनहवा तिराहा से समय लगभग 06.45 बजे सुबह गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 120/23 धारा 34/323/504/308/325 IPC

गिरफ्तार अभियुक्त

गुलाब मल्लाह पुत्र रामराज मल्लाह सा0 जिगिनिया शाहपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना तहबरपुर का किया गया वार्षिक निरीक्षण

आज दिनांक- 20.05.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना तहबरपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा निम्न दिशा-निर्देश दिये गये –

- ➡ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा सर्वप्रथम थाना तहबरपुर पहुंचकर गार्द की सलामी ली गयी, सलामी गार्द का टर्न आउट अच्छा रहा, सलामी गार्द में लगे आरक्षी पियूष चौधरी का टर्न आउट सबसे अच्छा रहा जिसके लिए उसे रिवार्ड दिया गया।
- ➡ थाना कार्यालय के अभिलेखों (भूमि विवाद रजिस्टर, महिला उत्पीडन रजिस्टर, बीट बुक, जन सुनवाई रजिस्टर आदि) का निरीक्षण किया गया। जनसुनवाई में गुणवत्तापूर्ण त्वरित कार्यवाही करने तथा भूमि विवाद के मामले ज्यादा पाये जाने पर अभियान चलाकर निस्तारण कराने के लिये निर्देशित किया गया।
- ➡ असलहा व कारतूस का निरीक्षण किया गया तथा शस्त्र खोलने/जोड़ने की कार्यवाही करायी गयी जिसमें 03 आरक्षियों (1) पंकज कुमार गुप्ता को 3000/- रुपये, (2) पियूष चौधरी 2000/-रुपये, (3) सूरज पाण्डेय को 1000/- रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।
- ➡ दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ थाना पुलिस से बल्ला ड्रिल की कार्यवाही करायी गयी।
- ➡ मालखाने व माल मुकदमाती वाहनों का निरीक्षण किया गया व माल निस्तारण के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया।
- ➡ थाना परिसर की साफ-सफाई देखा गया, साफ-सफाई ठीक मिली। बैरको में लगे पंखे, लाइट, खिड़की, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया।
- ➡ मेस की साफ-सफाई, रैक पर रखे हुये साग- सब्जी, राशन व अन्य सामग्रियों का निरीक्षण किया गया।
- ➡ थाने के ग्राम प्रहरियों (चौकीदारों) को बुलाकर सम्बन्धित आरक्षी से तालमेल की समीक्षा की गयी।
- ➡ थाने पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सैनिक सम्मेलन किया गया जिसमें सभी के समस्याओं को सुना गया तथा पुलिस कर्मियों को उनकी जीपीएफ पंजिका एवं चरित्र पंजिका दिखलायी गयी। कर्मियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।